

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

आरएफपी संदर्भ सं: -रा.आ.बैंक/एचओ/जीएडी/डाक/आउट007851/2024 दिनांकित 16 फरवरी 2024

प्रस्ताव हेतु अनुरोध(आरएफपी): रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

पटना क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
फ्लैट नंबर 302 और 303, शांति कॉम्प्लेक्स,
हाई-टेक हॉस्पिटल के सामने, सगुना मोड़, सगुना खगौल मेन रोड,
दानापुर, पटना - 801503

ई-मेल: munish.bhutani@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

शब्द संग्रह

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तारीख	16.02.2024
2.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	29.02.2024, 1800 घंटे
3.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	01.03.2024, 1100 घंटे
4.	बोली खोलने का स्थान	पटना क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, फ्लैट नंबर 302 और 303, शांति कॉम्प्लेक्स, हाई-टेक अस्पताल के सामने, सगुना मोर, सगुना खौगल मेन रोड, दानापुर, पटना - 801503

नोट: -

- बोलियां उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपर्युक्त के अनुसार भाग लेने का विकल्प चुनते हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना बोली लगाने वाले को ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख, समय और स्थान तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से जमा किए गए सभी डेटा/जानकारी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख के रूप में माना जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- क. आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- ख. विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- ग. इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- घ. आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- ङ. आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- च. आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, रायपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और पटना में स्थित हैं।

3. कार्य क्षेत्र:

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

4. अनुबंध अवधि:

विक्रेता 24 महीने के लिए किसी भी विनिर्माण दोष के लिए जिम्मेदार होगा (अर्थात् स्थापना तिथि से दोष देयता अवधि) और इस वारंटी अवधि के भीतर वह बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत पर दोष की आवश्यक मरम्मत/सुधार करेगा। यदि दोषों की सूचना देने के एक सप्ताह के भीतर मरम्मत/सुधार नहीं किया जाता है, तो रा.आ.बैंक इसे बाजार से मरम्मत/सुधार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और अवधारण राशि से आवश्यक वसूली की जाएगी।

5. बोलीदाताओं को निर्देश

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

5.1 सामान्य: -

- विकास, तैयारी, एवं प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करता है, उसे आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

नाम: अरिजीत पान पदनाम: प्रबंधक ईमेल आईडी: arijit.pan@nhb.org.in फोन नंबर: +91-11-39187403	नाम :जगदीश पद : क्षेत्रीय प्रबंधक ईमेल आईडी: jagdish@nhb.org.in फ़ोन नंबर: +91-11-39187138
---	---

यदि कोई प्रश्न/संदेह हो तो बोलीदाता द्वारा बोली-पूर्व बैठक में उसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
- बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/भा.रि.बैंक द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो
- रा.आ.बैंक सभी चुने गए बोलीदाताओं को लिखित रूप में या मेल द्वारा या अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके शीघ्र अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।

5.2 साइट विजिट

प्रस्ताव/बोली प्रस्तुत करने से पहले, विक्रेता समापन तिथि से पूर्व जहां यह कार्य निष्पादित किया जाना है रा.आ.बैंक के कार्य दिवसों पर रा.आ.बैंक के कार्यस्थल पर जा सकते हैं। रा.आ.बैंक द्वारा बोली प्रस्तुत करने के बाद उक्त दौर/अतिरिक्त सामग्री आवश्यक स्थापना/आपूर्ति उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

5.3 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

5.4 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी स्थिति में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.5 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ.बैंक, किसी भी कारण, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन की सूचना संबंधित सूचीबद्ध बोलीदाता को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ.बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.6 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी या हिंदी में लिखित होंगे।

5.7 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

5.8 बोली में शामिल दस्तावेज (यदि कोई हो, कृपया प्रारूपों में अलग से निर्धारित निर्देशों का पालन करें)

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

5.9 बोली मुद्रा

बोलियां केवल प्रतिशत (%) में उद्धृत की जाएंगी। प्रतिशत शर्तों के अतिरिक्त अन्य उद्धृत बोलियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

5.10 कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता को कार्य आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंतर्गत परियोजना पूर्ण करना होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

5.11 बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख 12 माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

5.12 बोलियों का प्रारूप और हस्ताक्षर

आरएफपी के खंड 5.8 (पृष्ठ संख्या 8) में उल्लिखित अनुसार विधिवत भरे हुए अनुलग्नकों के साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत की जानी है।

मूल बोलियों को अमिट स्याही में टाइप या लिखा जाए और बोलीदाता या अनुबंध हेतु बोली लगाने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर, बोलियों के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करेंगे।

5.13 बोलियों की मुद्रण एवं चिन्हांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिए गए पते पर रा.आ.बैंक को भेजा जाएगा:

सहायक महाप्रबंधक
पटना क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
फ्लैट नंबर 302 और 303, शांति कॉम्प्लेक्स,
हाई-टेक अस्पताल के सामने, सगुना मोड़,
सगुना खगौल मेन रोड,
दानापुर, पटना - 801503

- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर और ई-मेल पते के साथ बोलीदाता का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

- बोलीदाता खंड 5.8 में उल्लिखित विधिवत भरे हुए अनुबंधों के साथ वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को सील करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और अलग से " रांची में क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव " जैसा लागू हो, लिखा होना चाहिए।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उपाश्रय के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगा।

5.14 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत् रहेंगे।

5.15 देर से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

5.16 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

5.17 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.18 प्रारंभिक जांच

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं एवं बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक अपने विवेकाधिकार पर, किसी बोली में किसी भी मामूली गलती, गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है जो भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते ऐसी छूट किसी भी बोली लगाने वाला की सापेक्ष रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है या प्रभावित नहीं करती है।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम है।

5.19 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

5.20 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समुदेशित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

5.21 सहायता सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस आरएफपी के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता के पास रांची में उचित और पर्याप्त सहायता प्रणाली होना चाहिए।

5.21 बोली मूल्यांकन

कार्यों को पूरा करने के लिए "अनुलग्नक V- वाणिज्यिक बोली" के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत दर उद्धृत करने वाली बोली को परियोजना के लिए चुना जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

5.22 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5.23 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

5.24 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली हेतु अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें आरएफपी के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक- III के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

5.25 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

5.26 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.27 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

5.28 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

5.29 कानूनों का अनुपालन

- क. सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- ख. सलाहकार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत प्राप्त एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने हेतु अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक लेखा परीक्षा फर्म को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

- ग. यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- घ. यदि किसी कारण से, नियोक्ता कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या किसी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के आधार पर काम के निष्पादन में बोलीदाता द्वारा नियोजित कर्मकार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता बोलीदाता से भुगतान की गई मुआवजे की राशि और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वसूल करने का हकदार होगा। नियोक्ता को इस अनुबंध के तहत या अन्यथा सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा बोलीदाता को देय किसी भी राशि से कटौती करके ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से की वसूली करने की स्वतंत्रता होगी।

5.30 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो बैंक उचित समझी जाने वाली कार्यवाही कर सकता है।
- ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार निविदा को समाप्त करने हेतु आरएफपी में प्रदान की गई यथोचित कार्यवाई कर सकता है।

6. बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक) एवं बोली मूल्यांकन पद्धति

- क. ट्रेड "सिविल" के तहत केवल राष्ट्रीय आवास बैंक के सूचीबद्ध विक्रेता ही इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं एवं किसी अन्य बोलीदाता से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

वाणिज्यिक मूल्यांकन - कार्यों को पूरा करने के लिए "अनुलग्नक V- वाणिज्यिक बोली" के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत दर उद्धृत करने वाली बोली को परियोजना के लिए चुना जाएगा।

7. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना/समनुदेशन की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों पर ध्यान दें।

7.1 कीमत

- (क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- (ख) वाणिज्यिक बोली के अनुसार कीमत में जीएसटी, शुल्क, लेवी शुल्क, परिवहन, बीमा सहित सभी कर शामिल होने चाहिए।
- (ग) समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (घ) अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने विवेक से दोबारा आदेश दे सकता है।

7.2 भुगतान की शर्तें

बैंक द्वारा नियुक्त वास्तुकार द्वारा प्रमाणित बिल राशि का 95% वितरण और वस्तुओं की सफल स्थापना और बैंक द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद ही जारी किया जाएगा। बैंक आपूर्ति की गई वस्तु की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परीक्षण प्रमाण पत्र/घोषणा/दस्तावेज मांग सकता है। वास्तुकार द्वारा प्रमाणित बिल राशि का शेष 5% बैंक द्वारा प्रतिधारण राशि के रूप में रखा जाएगा और इस आरएफपी के खंड 4 में परिभाषित 24 महीने की वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

7.3 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य लागू करों की कटौती के बाद, एसएलए के अनुसार संयुक्त माप करने के बाद वास्तुकार के प्रमाणीकरण के आधार पर पूर्ण कार्यों के लिए भुगतान किया जाएगा।

8. सामान्य नियम एवं शर्तें

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

8.12 जुर्माना

यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है, तो रा.आ.बैंक प्रत्येक सप्ताह की देरी हेतु कार्य आदेश मूल्य के 0.5% का जुर्माना लगा सकता है या सफल बोलीदाता के लिए उसके हिस्से के लिए, वस्तु के मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन हो सकता है। एक बार अधिकतम हो जाने पर, रा.आ.बैंक आदेश को रद्द करने पर विचार कर सकता है और प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी/प्रतिधारण धन/ईएमडी को लागू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि वारंटी अवधि के दौरान उजागर दोषों का सुधार सात दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो रा.आ.बैंक इसे बाहर से ठीक करवा सकता है और इस पर होने वाले व्यय को प्रतिधारण धन/ ईएमडी से वसूल किया जाएगा।

8.13 कार्य आदेश/ पुरस्कार पत्र की स्वीकृति

रा.आ.बैंक दो प्रतियों में कार्य आदेश/पुरस्कार का पत्र जारी करके सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करेगा। सफल बोलीदाता को स्वीकृति के प्रमाण में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए एवं हस्ताक्षर किए गए कार्य आदेश/पुरस्कार आदेश के पत्र की तारीख से 2 कार्य दिवसों के भीतर डुप्लीकेट कॉपी रा.आ.बैंक को वापस करनी होगी। हालांकि, रा.आ.बैंक को कार्य आदेश/पुरस्कार के पत्र को रद्द करने का अधिकार है, अगर उसे निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है।

8.14 कर

प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित सांविधिक दरों के अनुसार रा.आ.बैंक द्वारा वास्तविक आधार पर केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। लागू होने वाले अन्य सभी कर बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। रा.आ.बैंक सफल बोलीदाता को किए गए भुगतानों के संबंध में प्रभावी कानून/नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसी कर कटौती करने के लिए अधिकृत है।

8.15 अनुबंध दस्तावेजों और सूचनाओं का उपयोग

बोलीदाता/सफल बोलीकर्ता, एनएचबी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बोली दस्तावेज में रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी का उपयोग नहीं करेगा या अन्यथा अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्यों को छोड़कर।

8.16 कार्यभार

बोलीदाता/सफल बोलीदाता, रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा या आंशिक रूप से सौंपे/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

8.17 अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता खंड

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

8.18 ऐसे देश के बोलीदाता से क्रय पर प्रतिबंध जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है:

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

नोट:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र के तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

कार्यभार

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सिविल एवं आंतरिक साज-सज्जा कार्य

अनुलग्नक

अनुलग्नक - I

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

**किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।*

XXXXXXX समाप्त XXXXXXX